होने/अन्य र्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते....पैरवी तामील....
दिनांक....5/12/19....को पेश हो।

5/12/19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित हैं। विपक्षी क्र. 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हैं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 2/1/20 को पेश हो।

2/1/20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
राजकीय अवकाश
होने/बार एसोसियेशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते....जवाब....
दिनांक....29/1/20....को पेश हो।

प्रकरण संख्या :- 2018/00033

29.1.20 पत्रावली पेश हुई, प्रकरण का अवलोकन किया विपक्षी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ जवाब बन्द किया गया. प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर गौर किया तो पाया कि प्रार्थी के द्वारा आराजी की आ.नं. 29 रकबा 0.1000 है व आ.नं 30 रकबा 1.0700 है किता 2 रकबा 1.0800 है ग्राम मौजा श्री जगदीश पिता हीरा बलाई का 1/3 हिस्सा खरीद रजि. दस्तावेज दिनांक 4.7.2017 को क्रय किया गया है जिससे प्रार्थी 1/3 हक हिस्से का खातेदार कृषक है जो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आराजी की विवादित आराजीयात के खाता बाट के निर्णय तक ग्राम अमरपुरा

विवादित आराजी न. $\frac{29}{0.01}$ $\frac{30}{1.07}$ किता 2 रकबा 1.08है. में वादी के 1/3 हिस्से में विपक्षीगण किसी तरह का दखल नहीं करे न अन्य से करावे, तथा खड़ी की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे. रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।।

30.1.2020

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.31 14:12:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: